

कार्यालय नगर पंचायत नरौरा जनपद बुलन्दशहर

पत्रांक: /न0प0नरौरा/2022-23

दिनांक:

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत नरौरा में स्थित कान्हा गौशाला में संरक्षित गौवंशों के भरण-पोषण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि हेतु भूसा प्रति कुन्तल की दरें प्राप्त किये जाने एवं मोटर स्टेन्ड पार्किंग शुल्क ठेका हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रक्रियोरमेन्ट की वेबसाइट www.etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा से सम्बन्धित सूचना जनपद बुलन्दशहर की वेबसाइट www.bulandshahr.nic.in एवं www.npnarora.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत नरौरा से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क ऑनलाईन अलग-अलग जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त जमा की पुष्टि हेतु ट्रांजैक्शन स्लिप/प्रमाण पत्र की कलर स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई-निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा को अवैध माना जायेगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वेबसाइट पर ई-निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	23.05.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
ई-निविदा डाउनलोड /अपलोड की प्रारम्भ तिथि व समय ।	23.05.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
ई-निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय ।	30.05.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
कार्यों की निविदा स्कैन आर्नेस्टमनी एवं निविदा शुल्क की मूल्य की प्रति कार्यालय नगर पंचायत में जमा करने की अन्तिम तिथि /समय ।	30.05.2022 प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि /समय	30.05.2022 दोपहर 02:00 बजे

क्र0स0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	निविदा पर 18% GST	कार्य/अपूर्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
01	नगर पंचायत नरौरा स्थित कान्हा गौशाला में भूसा सप्लाई का कार्य ।	—	100000	1000	180	10 माह
02	नगर पंचायत नरौरा में 01 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक मोटर स्टेन्ड पार्किंग शुल्क ठेका ।	778900.00	16000	800	144	10 माह

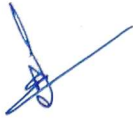
—: निर्माण कार्य नियम व शर्तें :-

- ई-निविदादाता के पास निर्माण कार्य की ठेकेदारी करने हेतु आवश्यक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप से होना अनिवार्य होगा।
- शासन के पत्र सं0-538/78-2018-97 आई0टी0/2017 दिनांक 21.08.2018 के अनुसार निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु आनलाईन प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिसकी जमा रसीद अपलोड करानी होगी। निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि नवीन एवं पंजीकरण शुल्क जमा करने का नगर पंचायत नरौरा का खाता संख्या-**2702000100110420-PUNB0270200** है।
- शासन के पत्र संख्या 3890/नौ-5-19-14सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुपालन में जिस ठेकेदार या कम्पनी का कार्य स्वीकृत होता है और नगर पंचायत नरौरा में निर्माण कार्य करने हेतु पंजीकृत नहीं होता है तो उसे कार्यादेश जारी होने के पूर्व रु0 20000+ रु0500 का डिमांड डाफ्ट अथवा ई-बैंकिंग के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार द्वितीय वरियता प्राप्त ई-निविदादाता को अवसर प्रदान किया जायेगा।
- ई-निविदादाता को सभी वॉछित प्रमाण पत्रों की जिसमें निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि की जमा रसीद, 100रु0 स्टाम्प की मूल प्रति एवं अन्य अभिलेखों -हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, लेबर, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न तीन वर्ष मय बैलेन्स शीट एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि नगर पंचायत में दिनांक 30.05.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक नगर पंचायत में रखे निविदा बाक्स में बन्द लिफाफे में रखकर डालना होगा। उक्त पत्रावलियों की हार्ड कापी प्राप्त न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5. 15 प्रतिशत से न्यून (बिलो) की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. ई- निविदादाता की निविदा बिलो पाये जाने पर नियमानुसार परफार्मेस गारन्टी की धनराशि जो नगर पंचायत निर्धारित करेगी अलग से ई- बैंकिंग के माध्यम से जमा करनी होगी तथा 5 वर्ष की परफार्मेस गारन्टी अर्थात् कार्य सन्तोष जनक पूर्ण होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत नरौरा को होगा।
9. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्रधिकार बुलन्दशहर होगा।
10. किसी भी निविदादाता की फाइनेन्शियल बिड तभी खोली जायेगी जब वह निविदा की टेक्नीकल बिड की सभी शर्तें ऑनलाईन पूरी करेगा।
11. नगर पंचायत नरौरा द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि के आधार पर भुगतान किया जाना संभव होगा।

भूसा सप्लाई के लिये अन्य नियम व शर्तें

12. सम्बन्धित स्वीकृत फर्म के द्वारा भूसा नगर पंचायत नरौरा द्वारा निर्धारित स्थल पर नियत समय तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा धर्म कांटे की पर्ची उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही पर्ची में अंकित भूसे की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जायेगा। भूसे की स्वीकृत दरों में यदि भूसे की आपूर्ति किये जाने वाले दिवस में दरों में घटोत्तरी होती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
13. सम्बन्धित फर्म के द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले भूसे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/नगर पंचायत द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा। यदि आपूर्ति किये गये भूसा गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया जाता है तो उसे वापस कर दिया जायेगा और गुणवत्तापूर्ण भूसे की आपूर्ति किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
14. सम्बन्धित फर्म के द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले भूसे का कोई भी मार्ग व्यय, ढुलाई व तुलाई भाड़ा एवं अन्य व्यय/शुल्क नगर पंचायत द्वारा देय नहीं होगा तथा आपूर्ति के दौरान किसी भी दुर्घटना आदि की कोई भी जिम्मेदारी नगर पंचायत की नहीं होगी।



(अब्बास हसन नकवी)

उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नरौरा
जनपद बुलन्दशहर।



(विवेक वशिष्ठ)

अध्यक्ष
नगर पंचायत नरौरा
जनपद बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ।
2. जिला सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 कार्यालय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ।
3. उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई की सेवा में सूचनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड नगर पंचायत नरौरा में चस्पा हेतु।
5. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु।



उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नरौरा
जिला बुलन्दशहर।